(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH – Chairman; 2. Adviser (Yoga and Naturopathy) or subject expert in place of Adviser or Joint Adviser of any stream nominated by Secretary (AYUSH) – Member 3. Director or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of AYUSH – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11013/02/2015-E.I(Vol. 2)]

ABDUL SADIQ KHAN, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2021

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और** प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखा अधिकारी	01* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.)।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति-: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400/- रू.) में ऐसे लेखा अधिकारी/अधीक्षक में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणी 1:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वरा अपनी श्रेणी या पद की विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पणी 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ वक्तियों सहित, जिन्होंने एसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारीः

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35,400-1,12,400/-रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

ख जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैः-

I. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण; या जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलातूपर्वक पूरा कर लिया है; और

II. रोकड़, लेखा और बजट कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्धारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्धारा नियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट बारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशा. 5.) मत्स्यपालन विभाग -सदस्य 3. अप-निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन), राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची - सदस्य	प्रतियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 5-10/2021-प्रशा.5]

खाम खान सुअन, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 2nd September, 2021

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Accounts Officer, Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi, (Accounts Officer)Recruitment Rules,2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person.

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	01* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in pay matrix (Rs.44,900 - Rs.1,42,400/-).	Selection.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Promotion from Accountants or Superintendent in level 6 (Rs.35,400 - Rs.1,12,400/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. **Note 1.-** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 2.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government or State Government or Union territories:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 (Rs.35,400 - Rs.1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications, namely:-

(i) pass in Subordinate Accounts Service examination; or successful completion of training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training & Management and

(ii) five years' experience in cash, accounts and budget works.

Note1.- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.-Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.-The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi - Chairperson 2. Under Secretary (Admn.V) Department of Fisheries - Member 3. Deputy Director (Processing and Marketing), National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing on deputation.

[F. No.5-10/2021-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.22 17:29:07 +05'30'